लोक शिक्षण संचालनालय

मध्यप्रदेश

गौतम नगर भोपाल - 462021

दूरभाष - 0755-2600115

www.educationportal.mp.gov.in, www. shikshaportal.mp.gov.in

क्र./ विशेष सेल /अध्या **प्रको/ 2018-19 /सी/** 88 भोपाल,दिनांक 14/12/2018

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी

समस्त जिले -

(अलीराजपुर.मंडला.डिंडोरी,अनूपपुर,झाबुआ,बडवानी जिले को छोड़कर)

विषय : अध्यापक संवर्ग की स्कूल शिक्षा विभाग में नियुक्त किये जाने संबंधी कार्यवाही के सम्बन्ध में।

विषयान्तर्गत मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक)संवर्ग(सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम, 2018 के अंतर्गत अध्यापक संवर्ग की स्कूल शिक्षा विभाग में सुसंगत पदों पर नियुक्त किये जाने संबंधी कार्यवाही के अंतर्गत ऐसे अध्यापक जो कि प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ है / जिनका पद नाम अपडेट नहीं हुआ था / हाल ही में स्थानांतरित होने से उनकी संस्था अपडेट नहीं होने से अथवा लिपिकीय त्रुटि होने से आगामी कार्यवाही नहीं हो सकी थी ऐसे सभी प्रकरणों को संकुल प्राचार्य के लॉग इन में वापिस (Back) कर दिया गया था जिनके सत्यापन की कार्यवाही प्रचलन में है |

इसके अतिरिक्त कुछ बिन्दु जैसे संविलियन दिनांक में त्रुटि होना, प्रथम नियोक्ता का नाम त्रुटिपूर्ण होना, विषय गलत दर्ज होना आदि समस्याएं भी जिलों द्वारा बतायी गयी है इसके निराकरण के लिए पोर्टल पर TAMS अंतर्गत प्रावधान करते हुए "ESB Corrections" विकल्प उपलब्ध कराया गया है |

- इस आप्शन के माध्यम से ऐसे अध्यापकों की जानकारी जैसे संविलियन दिनांक में त्रुटि होना , प्रथम नियोक्ता का नाम त्रुटिपूर्ण होना, विषय गलत दर्ज होना त्रुटिपूर्ण होने से आदेश जनरेट नहीं हो पा रहे है और उनकी सेवा पुस्तिका संकुल द्वारा सत्यापित कर दी गयी है, उक्त जानकारी में उनके वर्तमान नियोक्ता द्वारा रिकॉर्ड के आधार पर सुधार किया जा सकेगा |
- उक्त सुधार जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सहायक अध्यापको का, संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा अध्यापकों का और संचालनालय द्वारा वरिष्ठ अध्यापकों कि सेवा पुस्तिका में किया जा सकेगा |

अतः विकल्प प्रस्तुत करने वाले शत प्रतिशत अध्यापकों के सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए पात्रता निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाए एवं उपरोक्त सुधार किये जाने के उपरांत आदेश जनरेट करने की तैयारी तत्काल की जाये |

14/12/18

(जयश्री कियावत)

आयुक्त,

लोक शिक्षण म.प्र.

पृ.क्रमांक/ विशेष सेल /2018 / सी/89 भोपाल दिनांक 14/12/2018

प्रतिलिपिः-

- प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. शासन की ओर सूचनार्थ
- श्री सुनील जैन, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक NIC विंध्यांचल भवन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु

आयुक्त,

लोक शिक्षण म.प्र.